(204)

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प उज्जैन म0प्र0

प्र0क0 /पुनरीक्षण 18

निगरानी- 5425/2018/आगर मालवा/भू.रा.

प्रार्थी अभिभाषक श्री सरदारसिंह चौहान
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 23/8/18
अधीक्षक 23.8.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

1–मदनसिह पिता लालसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम सारंगाखेड़ी तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा म0प्र0–पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1–धापूबाई विधवा नारायणसिंह राजपुत
2– सजनसिह पिता चतरसिह
3– नारायणसिह
4– शिवसिह
5– करणसिह पुत्रगण चन्दरसिह जाति राजपुत निवासी गंगापुर करनाली तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा –विपक्षीगण

552
23/8/18

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय बड़ौद मुख्यालय आगर के प्रकरण क्रमांक 24–अ–27/2016–17 मे पारित आदेश प्रोसेडिंग दिनांक 2.7.18 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959

माननीय महोदय

पुनरीक्षणकर्ता की और से पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं –

1– यहकि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि– विपक्षी धापुबाई द्वारा पुनरीक्षण कर्ता एंव विपक्षी क्रमांक 2 लगा0 5 के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 म0भू0रा0सं0 का पटवारी हल्का महारूण्डी के ग्राम सारंगाखेडी तहसील बडौद जिला आगर मालवा के खाता क0 60 जो पुनरीक्षणकर्ता आदि के नाम पर है मैं वर्णित सर्वे नं0 34, 63, 67, 165, 180, 226, 248, 249, 516, कुल किता 9 कुल रकबा 1.460 हे0 में 1/2 हक हिस्सा उसका होने व 1/2 पुनरीक्षणकर्ता मदन का बताते हुवे व शेष अनावेदकगण द्वारा उनके हिस्से की जमीन को विकय कर उनका उक्त खाते में कोई हिस्सा नही होना व मात्र नाम होने बाबत बताते हुवे बंटवारा किये जाने बाबत आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार महोदय बडौद मु0 आगर जिला आगर मालवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक 24–अ–27/2016–17 पर पंजीबद्ध है ।

2– यहकि उक्त आवेदन का पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर सम्पूर्ण तथ्यों को अस्वीकार किया गया व विशेष आपत्ति में वर्णित किया कि धापुबाई का आवेदन में वर्णित भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा हैं साथ ही धापुबाई का मात्र राजस्व कागजात में नाम चला आ रहा है क्योंकि राजस्व कागजात में बंटवारा नही हुआ हैं जबकि मौके पर काफी वर्षो पूर्व बंटवारा होकर उक्त भूमि पुनरीक्षणकर्ता के हक हिस्सा स्वत्व व आधिपत्य में होकर उक्त

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5425/2018/आगर मालवा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	